

efforts are made to supply adequate quantity and quality of coal.

कम्पनी कानून के उपबन्धों का उल्लंघन

1656. श्री हुसम देव नारायण यादव :
क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य
मंंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी पंजीकृत
कम्पनियां कार्यरत हैं और उन कम्पनियों
के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध कम्पनी कानून
के उपबन्धों का उल्लंघन करने से सम्बन्धित
मामले लम्बित हैं और मामले कब से लम्बित
हैं, और

(ख) क्या इन मामलों को शीघ्रता से
निपटाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है;
यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क)
31-3-1981 तक दिल्ली में कार्य कर रही
पंजीकृत कम्पनियों की संख्या 8013 है,
जिसमें से 626 कम्पनियां पब्लिक हैं,
7267 कम्पनियां प्राइवेट हैं, 110 कम्पनियां
गारन्टी द्वारा मोमित और लाभ के लिये
संगठन नहीं हैं तथा 10 कम्पनियों असीमित
देयता वाली कम्पनियां हैं। 31-3-1981
तक 2520 कम्पनियों और उनके निदेशकों के
विरुद्ध कम्पनी अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों
के उल्लंघनों के लिए 4049 मामले अनिर्णीत
हैं। इन सभी कम्पनियों के नामों की सूची की
संकलन करने में पर्याप्त समय और श्रम
लगेगा जो परिणामों का समानुपातिक नहीं
हो सकेगा ।

(ख) उपरोक्त (क) में विनिर्दिष्ट
अभियोग के मामले मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में
अनिर्णीत हैं जिनको उनके निपटान को तुरन्त
कपने के लिये, उचित रूप से समय समय पर
अनुरोध किया जाता है।

एकाधिकार घराणे

1657. श्री हुसमदेव नारायण यादव :
क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य
मंंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि
जनवरी 1980 से दिसम्बर, 1981 की
अवधि के दौरान किन-किन एकाधिकार
घराणों की कितनी कितनी कम्पनियां पंजीकृत
हुई हैं और उनमें से प्रत्येक कम्पनी को
कितनी कितनी राशि के निवेश हेतु
लाइसेंस दिया गया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : जन-
वरी 1980 से दिसम्बर, 1981 तक की
अवधि के मध्य, एकाधिकार तथा अवरोधक
व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत 76 कम्पनियों
का पंजीकरण हुआ था। (व्योरे संलग्न
विवरण में) उपरोक्त में से एक कम्पनी
मै० राजस्थान स्पिनिंग एण्ड मिल्स लिमिटेड को
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यव-
हार कम्पनी के रूप में पंजीकरण के पश्चात
आई. डी. आर. अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत
एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था।

व्योरे निम्न प्रकार हैं :—

1. उपक्रम का नाम मै० राजस्थान स्पिनिंग
तथा इसको एण्ड वीविंग मिल्स
स्थिति लि० (खारीग्राम,
गुलाबपुरा, राजस्थान)
2. निर्माण की वस्तु मृत्ती धागा (व्यापार
क्षमता तथा औद्योगिक लाइसेंस की
श्रेणी)
3. निश्चित परिसर (भूमि + भवन +
में प्रस्तावित मशीनरी 1.31
नियोजन करोड़ रुपये)
4. औद्योगिक लाइसेंस आई. एल. 4181
संख्या तथा तारीख दिनांक 30-6-81
(29/81)

विवरण

जनवरी, 1980 से दिसम्बर, 1981 तक की अवधि के मध्य, विभिन्न एकाधिकारी घरानों के भाग के रूप में पंजीकृत कम्पनियों की संख्या :

एकाधिकारी घराने का नाम	कम्पनियों की संख्या
1. अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी	1
2. आंध्र शुगर	3
3. बेस्ट एण्ड क्राम्पटन	2
4. भीलवाड़ा	3
5. बिडला	2
6. चौगुले	1
7. डालमिया जे०	1
8. धरमसी मोरारजी	1
9. गरवारे	1
10. ग्लेण्डर अर्बुथान्ट	4
11. गोदरेज	1
12. गोकाक पटेल	3
13. आई०एम०एफ०ए०	4
14. आई०टी०सी०	4
15. एम०ए० चिदम्बरम	3
16. मकनीन एण्ड मंगर	2
17. मफतलाल	5
18. उडीसा सीमेंट	2
19. ओसवाल वूलन मिल्स	1
20. पीरामल	1
21. रलिस	1
22. शाहू जैन	1
23. सोमेश्या	1
24. स्वान मिल्स	1
25. टीटागुर जूट	4

एकाधिकारी घराने का नाम कम्पनियों की संख्या

26. टीवी एस	3
27. टाटा	2
28. थापर	2
29. यूनाइटेड ब्रेवरीज	2
30. बी० रामाकृष्णा	1
31. बी० एस० डेम्पो	1
32. वालचन्द	1
एकाकी वृहद	11
योग	76

कम्पनियों द्वारा लाइसेंसों का नवीकरण न कराया जाना

1658. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विल्ली में ऐसी कितनी कम्पनियां हैं जिन्होंने 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1981 के दौरान अपने लाइसेंसों का नवीकरण नहीं करवाया है और उनके नाम तथा पते क्या क्या हैं; और

(ख) ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) कम्पनी अधिनियम में लाइसेंसों के लिये, उन कम्पनियों को जो अधिनियम की धारा 25 के उपबन्धों का लाभ प्राप्त करने की उत्सुक हैं, उनको उनके लिये प्रादेशिक निवेशकों को आवेदन